

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002682014

दांडिक प्रकरण क.-363 / 14

संस्थापित दिनांक-25.06.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-धीरज सिंह पुत्र नत्थू सिंह यादव उम्र 35 साल 02-धारू सिंह पुत्र नत्थू सिंह यादव उम्र 32 सालआरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.02.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 341, 294, 506बी, 323, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी बृगभान से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324/34 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी बृगभान ने दिनांक 01.06.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को सुबह जब वह मवेशी जंगल में छोड़ने जा रहा था तब देशराज सिंह यादव के मकान के पास आम रास्ता पर जब वह पहुंचा तो वहां पर खड़े धीरज सिंह व धारूसिंह दोनों ने उसका रास्ता रोककर मां-बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे। उसका आरोपी धीरज सिंह से मुंहवाद करीब छः माह पहले हुआ था उसी की रंजिश पर से दोनों आरोपीगण ने उसकी मारपीट लात-घूसों से की और धीरज सिंह ने चाकू मार दिया जो नाक पर लगकर खून निकल आया। धारू ने जमीन पर पटक दिया, घसीट दिया जिससे आंख में चोट आई, लात-घूसों की मारपीट से छाती, पीठ, कमर में मुंदी चोटें आईं। घंसू अहिरवार ने उसे बचाया। जब वह घर जाने लगा तो आरोपीगण कहने लगे कि मादरचोद आज तो बच गया आईदा जान से मारकर फेंक देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 228/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 294, 341, 506बी, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 324/34, 506बी, 294 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 01.06.14 को समय सुबह 06.00 बजे देशराज यादव के मकान के सामने आम रास्ता ग्राम पाडरी अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी बृगभान यादव को सहअभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में प्रार्थी बृगभान को लात-घूसों से तथा अशन व भेदन उपकरण चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 बृगभान की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 बृगभान ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे चाकू से मारा था। उक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)